न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्रीमती कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस.

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
1. कमला देवी पुत्री थानाराम पत्नि डावरराम		1. थानाराम पुत्र दीपाराम जाति सीरवी निवासी करमावास तह0 सोजत
2. केसाराम पुत्र थानाराम जातिगण सीरवी निवासीगण करमावास पट्टा हाल बैंगलोर, कर्नाटका।		2. सोहनलाल सी0 पुत्र चेनाराम जाति सीरवी निवासी दोरनडी तह0 सोजत
3. उगमा देवी पुत्री थानाराम पत्नि भीठालाल जाति सीरवी निवासी आगलेचो का बासं, अटपडा तह0 सोजत		3. ओमप्रकाश पुत्र थानाराम
4. गणकी पुत्री थानाराम पत्नि कालुराम जाति सीरवी निवासी बेरा कोटवालों की ढीमडी पिपलिया कलां तह0 रायपुर।		4. मांगीलाल पुत्र थानाराम जातिगण सीरवी निवासीगण करमावास तह0 सोजत जिला पाली राज0।
		5. उप पंजीयन अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय बगड़ी नगर।
		6. तहसीलरदार (भूमिधाकर) तहसीलदार सोजत

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट 1955

राजस्व प्रा0 पत्र संख्या 42/2024

उपस्थितिः—

01. श्री देवेन्द्र व्यास, श्री कैलाश दवे अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित।
02. तहसीलदार भूमिधारक सोजत स्वयं उपस्थित।

दिनांक 01/08/2024

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने राजस्व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटी एक्ट 1955 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा करमावास पट्टा तह0 सोजत में प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं0 1, 3 व 4 की संयुक्त पुश्तैनी व पैतृक कृषि भूमि ख.नं. 898 रकबा 1.19 है0 तथा ख.नं. 237 से 244, 248 से 258, 260/1225, 261 से 267, 287 से 298 कुल खसरा 39 कुल रकबा 19.99 है0 आयी हुई स्थित हैं। प्रार्थीगण के दादा दीपाराम जिनका निर्वशीयती स्वर्गवास हो चुका हैं। जिनके उत्तराधिकारी मे अप्रार्थी सं0 1 थानाराम हुए। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 3 व 4 थानाराम के जायंदा पुत्र व पुत्रीयां हैं एवं स्व0 दीपाराम के वैध व विधिक उत्तराधिकारी हैं। सैटलमेंट से प्रार्थीगण के दादा दीपाराम की उक्त कृषि भूमि दर्ज चली आ रही हैं। दीपाराम के देहान्त के बाद राजस्व रेकर्ड में अप्रार्थी सं0 1 थानाराम का नाम अमल दरामद किया गया। उक्त कृषि भूमि थानाराम की स्वअर्जित खरीदसुदा नहीं है, लेकिन अप्रार्थी सं0 1 व 3 प्रार्थीगण को उक्त विधि विरूद्ध इन्द्राज के आधार पर वादस्थ कृषि भूमि से बेदखल करने व बेचान, अन्तरण करने पर उतारू हैं। अप्रार्थी सं0 1 को प्रार्थीगण के विरूद्ध भड़का कर उकसाने व उनको बहकावे में लेकर वादस्थ कृषि भूमि को बेचान करने की योजना बनाई। इसी प्रकार अप्रार्थी सं0 3 द्वारा प्रार्थीगण के पुश्तैनी हक हिस्से का सम्मिलित करते हुए अप्रार्थी सं0 1 का नाम इन्द्राज होने का फायदा उठाते हुए बाले बाले बिना प्रार्थीगण की सहमति व स्वीकृति प्राप्त किये प्रार्थीगण को उनके पुश्तैनी हक हिस्से से वंचित करने के दुराशय से अप्रार्थी सं0 1 से अप्रार्थी सं0 2 के नाम विधि विरूद्ध तरीके से बेचान पंजीयन करवा दिया। अप्रार्थी सं0 1 को अपने 1/7 हिस्से से अधिक भूमि का बेचान करने का कोई वैध अधिकार प्राप्त नहीं था। अप्रार्थीगण वादस्थ भूमि का ओर आगे से आगे बेचान करने की एलानियां धमकिया देते हैं। और प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारू हैं। यदि वे ऐसा करने में सफल होते है तो प्रार्थीगण का अपूर्णीय क्षति होगी। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादस्थ कृषि भूमि का अन्यत्र बेचान व हस्तान्तरण नहीं करने व प्रार्थीगण के

उपखण्ड अधिकारी,
सोजत (राज.)

काबिजे काश्त में दखल अंदाजी नहीं करने हेतु अप्रार्थीगण जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोके जाने की इश्तदुआ की है। इस पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण 1 से 5 बावजूद सूचना/तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है।

बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए व्यक्त किया कि वादस्थ भूमि प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं0 1, 3 व 4 की पुश्तैनी व पैतृक कृषि भूमि है। अप्रार्थी सं0 1 को उक्त भूमि विरासत से प्राप्त हुई जिसमें अप्रार्थी सं0 1 का मात्र 1/7 हिस्सा ही बनता है। किन्तु अप्रार्थी सं0 1 द्वारा अपने हक अधिकार से अधिक भूमि का बेचान कर दिया है एवं आगे भी वादस्थ भूमि का बेचान करने पर उतारू है। जिन्हे मूल वाद के निर्णय तक जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा रोका जावें। जवाब बहस में तहसीलदार सोजत द्वारा विधिनुरूप निर्णय में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र फहरिस्त मय दस्तावेजात का अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी एवं तहसीलदार सोजत पर गौर व मनन किया। वस्तुतः प्रथम दृष्टया वादस्थ भूमि पुश्तैनी व पैतृक होना साबित होता है। पक्षकारों के हक अधिकारों को मूल वाद में साक्ष्य सबूतों व दस्तावेजों के आधार पर गुणावगुण पर तय किया जायेगा। वर्तमान परिपेक्ष्य में प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णीय क्षति व सुविधा संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता हैं। लिहाजा वादस्थ कृषि भूमि के मौके व रेकर्ड की यथास्थिति वाद निर्णय तक कायम रखना उचित समझते हैं।

–: आदेश :–

अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट 1955 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा करमावास पट्टा तह0 सोजत ख.नं. 898 रकबा 1.19 है0 तथा ख.नं. 237 से 244, 248 से 258, 260/1225, 261 से 267, 287 से 298 कुल खसरा 39 कुल रकबा 19.99 है0 की कृषि भूमि के मौका व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु एवं उक्त भूमि का बेचान व अन्य हस्तान्तरण नहीं करने हेतु वाद निर्णय तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा को पांबद किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक 01/09/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत
उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)